न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः–उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 12/2020

विनोद कुमार पुत्र श्री दलीपराम जाति जाट आयु 24 साल निवासी वार्ड नंबर 4, कुलचन्द्र तहसील टिब्बी, हनुमानगढ़ राज.।

––निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत, कुलचन्द्र जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुलचन्द्र, पंचायत समिति टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
2. सरपंच ग्राम पंचायत कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुलचन्द्र, पंचायत समिति टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थीयान

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध नोटिस क्रमांक एसपीएल–3 दिनांक 01.10.2020 ग्राम पंचायत कुलचन्द्र द्वारा जारी, को खारिज फरमाने बाबत

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितः– 1. श्री मनोज बैनिवाल अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री राजेशदीप राय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 02

–:निर्णयः–

दिनांकः–31.01.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि अप्रार्थी/गैरनिगरानी प्रार्थी का रिहायशी भूखण्ड वार्ड नंबर 4 ग्राम पंचायत कुलचन्द्र में अवस्थित है। प्रार्थी ने अपने रिहायशी भूखण्ड के कुछ हिस्सा पर मकान बना रखे है तथा कुछ हिस्सा खाली छोड़ा हुआ है जिस पर प्रार्थी के घरेलू उपयोग का सामान जैसे लकड़िया, रूड़ी, ईंटे तथा अन्य सामान पड़ा है। उक्त भूखण्ड में प्रार्थी ने पेड़ लगा रखे है जो करीब 15 वर्ष की उम्र के है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी के आधिपत्य व धारण का है। प्रार्थी के भूखण्ड के चिपते पश्चिम दिशा में मनीराम का खाली भूखण्ड है तथा मनीराम के खाली भूखण्ड के पश्चिम दिशा में गलीआम है। प्रार्थी के भूखण्ड के दक्षिण दिशा में पीर की खाली जगह, उत्तर दिशा में खाली जगह व पूर्व दिशा में मनीराम का रिहायशी भूखण्ड है। वादी के उक्त वर्णित भूखण्ड की कच्ची चारदीवारी थी जो कि बरसात आने के कारण गिर कर नष्ट हो गई है, इस बात का फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 जो वर्तमान में ग्राम पंचायत कुलचन्द्र का सरपंच तथा प्रार्थी के विपक्षी पार्टी का है जिसको प्रार्थी ने सरपंच चुनाव में वोट नहीं दिया [illegible] खुलकर खिलाफत की थी, जिस कारण अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी के साथ रंजिश रखते हुए नुकसान प[illegible] हर समय कोशिश कर रहा है। चुनावी रंजिश के चलते अप्रार्थी [illegible] प्रार्थी को धमकी दी कि वह प्रार्थी के खाली भूखण्ड में से जबरदस्ती [illegible] का निर्माण करेगा जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि उक्त भूखण्ड प्रार्थी के आधिपत्य व धारण [illegible] आप बिना नोटिस दिए ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकते [illegible] पर अप्रार्थी संख्या 1 की [illegible] से अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को एक नोटिस क्रमांक एसपीएल–3 दिनांक 01.10.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:06:06 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

मिथ्या तथ्यों पर व अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी को प्रेषित किया कि आप द्वारा कुएं की 2 बीघा भूमि के उत्तर दिशा में ईट डालकर व लकड़ी तथा रूड़ी डालकर अतिक्रमण कर रखा है व पूर्व से पश्चिम दिशा में आमगली को ईट डालकर रास्ता बंद कर रखा है, आप इस गली से अपना अतिक्रमण दो दिवस में हटा लेवें अन्यथा ग्राम पंचायत हटाने के लिये बाध्य होगी व जो अतिक्रमण हटाने में हर्जा–खर्चा लगेगा, आपसे वसूल किया जायेगा। अतिक्रमण में जो ईट–तूड़ी पड़ी है उसे पंचायत अपने कब्जे में लेगी व ग्राम पंचायत आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगी। उक्त नोटिस दिनांक 01.10.2020 प्रार्थी को चुनावी रंजिशवश दिया गया है। इस नोटिस को प्रेषित करने का अप्रार्थी संख्या 2 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। ग्राम कुलचन्द्र तहसील टिब्बी के अधीनस्थ 45सा क्षेत्र का एक ग्राम है जिसका आबादी क्षेत्र पूर्व जागीरदारों व पट्टीदारों की निजी भूमि का हिस्सा था। कालांतर में जागीरदारी व बिश्वेदारी का उन्मूलन होने पर आबादी क्षेत्र पूर्ववत बने रहे व पूर्व में बसे ग्राम के आबादी क्षेत्र को चिन्हित कर ग्राम पंचायतों का गठन हुआ व समस्त आबादी क्षेत्र ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया। अर्सा कदीम से चले आ रहे आबादी क्षेत्र में ग्रामवासियों ने स्वतः ही आवागमन एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु मार्गों को चिन्हित कर उन्हें छोड़ा ताकि प्रत्येक आवास को सार्वजनिक मार्ग की सुविधा प्राप्त हो सके। यह व्यवस्था अर्सा कदीम से बिना किसी स्वीकृत नक्शा के निरंतर चली आ रही है व समस्त ग्रामवासियों ने इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दी हुई है व आवागमन हेतु छोडे गये रास्तो को अपनी सहमति व आचरण से स्वीकार किया है तथा समस्त ग्रामवासी इन्हीं रास्तों से आवागमन करते चले आ रहे है। ग्रामवासियों के उक्त वर्णित सार्वजनिक मार्गो की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने–अपने आवासग्रहों व अन्य स्थलों को निर्मित किया है। अप्रार्थीगण के आधिपत्य व कोई स्वीकृत नक्शा नहीं है। आबादी बसने से लेकर आज तक आवागमन हेतु गलीआम मनीराम व प्रार्थी के खाली भूखण्ड के सामने से उत्तर दिशा में से आते हुए मनीराम की खाली भूखण्ड के चिपते कुंआ की जगह से पहले, पश्चिम की तरफ घुमकर मनीराम के खाली भूखण्ड के पश्चिम दिशा के साथ चिपती हुई उत्तर दिशा में निकलती है। उक्त गलीआम आबादी बसने से लेकर आज तक निरंतर चली आ रही है। अप्रार्थीगण उक्त गलीआम जो कि कुआं की जगह से पश्चिम दिशा में घुमती है, को चुनावी रंजिशवश प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने व हैरान परेशान करने के लिए सीधा ही प्रार्थी के भूखण्ड से जबरदस्ती निकालते हुए उत्तर की तरफ गलीआम के साथ जोड़ना चाहते है जबकि प्रार्थी के भूखण्ड में से उक्त गलीआम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आमजन के आवागमन हेतु अर्सा कदीम से गलीआम चली आ रही है। मात्र अप्रार्थीगण ने चुनावी रंजिश के कारण प्रार्थी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने व परेशान करने के कारण उक्त नोटिस प्रेषित किया गया है जो कतई गलत व आधारहीन है। ग्राम आबाद होने से लेकर आज तक निगरानी की चरण संख्या 2 में वर्णित भूखण्ड पर प्रार्थी के पूर्वज व वर्तमान में प्रार्थी निवास करता चला आ रहा है। पूर्व में किसी भी जनप्रतिनिधि (सरपंच) अथवा ग्रामीण ने कभी भी प्रार्थी के उपयोग–उपभोग के भूखण्ड में से गलीआम निकालने की कोशिश नहीं की एवं ना ही कभी प्रार्थी के भूखण्ड [illegible] गली निकालने बाबत किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की व ना ही प्रार्थी के भूखण्ड से गली निकालने की आवश्यकता है। निगरानी की चरण [illegible] में वर्णित [illegible] प्रार्थी का पैतृक भूखण्ड है जो कि प्रार्थी को विरासतन प्राप्त हुआ है व प्रार्थी [illegible] व धारण में है जिस पर प्रार्थी ने अपनी पत्नी के नाम से विद्युत संबंध भी प्राप्त कि[illegible] हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 01.10.2020 प्रेषित करने के पश्चात प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.10.2020 को विकास अधिकारी पंचायत समिति टिब्बी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:06:06 IST
Reason: SelfAttested

30
अपर जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

कि ग्राम पंचायत कुलचन्द्र के वार्ड नंबर 4 में प्रार्थी के रिहायशी प्लाट में से जबरदस्ती गली निकाल रहे है, को रोका जावे जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति टिब्बी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए आदेश क्रमांक 3828 दिनांक 22.10.2020 जारी किया कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड नंबर 4 में गली निकाले जाने के संबंध में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट आबादी भूमि का नक्शा, खसरा रजिस्टर आदि आवश्यक दस्तावेज इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे तथा आवश्यक रिपोर्ट एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने तक इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाये। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत कुलचन्द्र जरिये सरपंच अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा प्रार्थी को प्रेषित नोटिस क्रमांक एसपीएल–3 दिनांक 01.10.2020 को निरस्त फरमाया जावे

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये ग्राम पंचायत कुलचन्द्र जरिये सरपंच अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा प्रार्थी को प्रेषित नोटिस क्रमांक एसपीएल–3 दिनांक 01.10.2020 को निरस्त फरमाया जावे

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 03 ने अपनी बहस में कथन किये कि प्रार्थी का कोई पैतृक भूखण्ड नही है व ना ही प्रश्नगत जगह में प्रार्थी को कोई विरासतन भूखण्ड प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अभिकथित विद्युत सम्बन्ध प्रश्नगत जगह के नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भूखण्ड की पहचान के सम्बन्ध में कोई कथन नही किये तथा न ही कोई आसा पासा अंकित किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूखण्ड कितने वर्गफुट का है, इस सम्बन्ध में भी कोई कथन नही किये। वस्तुतः प्रार्थी का प्रश्नगत जगह पर कोई निर्माण नही है बल्कि प्रार्थी ने इस खाली जगह पर लकड़ी, तूड़ी व ईंटे डालकर अतिक्रमण किया है। प्रश्नगत जगह प्रार्थी अथवा उसकी पैतृक हो, इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रार्थी ने प्रस्तुत नही किये। उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिये दिनांक 22.06.2020 को ग्राम पंचायत कुलचन्द्र ने प्रस्ताव पारित किया तत्पश्चात दिनांक 01.10.2020 को ग्राम पंचायत कुलचन्द्र ने उक्त नोटिस जारी किये लेकिन उक्त नोटिस प्राप्ति के पश्चात प्रार्थी ने उक्त गलीआम पर अतिक्रमण नही हटाया। तत्पश्चात दिनांक 05.10.2020 को ग्राम पंचायत द्वारा पुनः नोटिस जारी किया गया तथा प्रार्थी को उक्त प्रश्नगत जगह से रूड़ी व तूड़ी उठाने हेतु कहा गया ताकि रास्ता खोला जा सके, दिनांक 16.10.2020 से पूर्व विनोद कुमार ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से वार्तालाप कर ईंटे हटवाने में सहमति दी तथा तूड़ी उठाने हेतु 2–3 का समय मांगा जिसके पश्चात भी प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया। इसके पश्चात दिनांक 21.10.2020 को भी ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया गया लेकिन इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तत्पश्चात दिनांक 22.10.2020 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति टिब्बी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मौके की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु पत्र प्रेषित किया लेकिन प्रार्थी विनोद कुमार ने आनन–फानन में दिनांक 25.10.2020 को रास्ता की भूमि पर दीवार का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिस पर मौका पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति टिब्बी व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुलचन्द्र, पंचायत समिति टिब्बी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित आये व मौका फर्द तैयार की गई तथा [illegible] पर आम रास्ता को खुलवाया गया तथा प्रार्थी व उसके पिता को पाबन्द किया गया कि [illegible] किसी भी प्रकार का कोई निर्माण आगामी आदेश तक नहीं करवाये। प्रार्थी के [illegible] विक्रम ने भी कुएं की 2 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया था। जिसे विधिनसार हटाया गया है लेकिन प्रार्थी निगरानीकर्ता ने उक्त गलीआम पर पुनः दिनांक 25.10.2020 को अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटा दिया गया है। गलीआम की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नही है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की नही है। गलीआम बन्द हो जाने से ग्राम पंचायत को भारी असुविधा हो रही है। विकास अधिकारी के समक्ष ही दिनांक 25.10.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:06:06 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

मौका पर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की थी तथा प्रश्नगत भूमि गलीआम की भूमि है। नोटिस दिनांक 01.10.2020 के पश्चात दिनांक 05.10.2020, दिनांक 21.10.2020 भी प्रेषित किये जा चुके है तथा उक्त नोटिस प्रस्ताव दिनांक 22.06.2020 को लिये गये प्रस्ताव की पालना में पारित किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिनुसार कार्यवाही की जा रही है। गलीआम पर कब्जा करने का किसी को कोई अधिकार प्राप्त नही है। उक्त गलीआम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पीर मियां जमाल की दरगाह तक जाती है तथा इस गलीआम का सी0सी0 ब्लॉक निर्माण किया जाना है, इस गलीआम से गावं के बच्चे स्कूल आते है तथा गांव के लोग पीर मियां जमाल की दरगाह पर जाते है जिससे लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। ग्राम पंचायत कुलचन्द्र के वार्ड न0. 05 के 20 घरों के लोगो के पास आवागमन के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रश्नगत जगह गलीआम की भूमि है जिसे ग्रामवासियों को गलीआम के रूप में उपयोग व उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्नगत जगह का कोई स्वामित्व प्रार्थी अथवा उसके पिता के पास नही है। प्रश्नगत जगह गलीआम की है। कानूनन गलीआम की भूमि पर प्रार्थी को कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी स्वामित्व की घोषणा करवाये बिना प्रार्थी का कोई भी प्रार्थना पत्र विधिनुसार पोषणीय नही है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही प्रस्ताव दिनांक 22.06.2020 के अनुसरण में की जा रही है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. ग्राम पंचायत कुलचन्द्र पंचायत समिति टिब्बी के क्रमांक एसपीएल–3 दिनांक 01.10.2020 से निगरानीकर्ता प्रभावित है, निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। निगरानीकर्ता ने जहां एक और पूर्व में विवादित स्थल के पास से ही एक मार्ग पक्का होना बताया इस सम्बध में अप्रार्थी की और से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया कि विवादित स्थल के पास एक प्लॉट छोडकर कोई रास्ता नही हो और यह भी औचित्य नही बताया कि केवल एक प्लॉट छोड़कर ही पूर्व में रास्ता बना हुआ है तो नवीन रास्ते की आवश्कता क्यो है।
2. दूसरी ओर निगरानीकर्ता द्वारा भी ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया कि उनका पुराना कब्जा किस आधार पर है, और उनके पास प्रश्नगत भूखण्ड को नियमन करवाने का विधिक औचित्य है।

ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम पंचायत कुलचन्द्र पचांयत समिति टिब्बी को रिमाण्ड प्रतिप्रेषित (Remand) कि जाती है कि वह विधि में सुस्थापित सिद्धान्तो के अनुसार उचित निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2025.02.24 19:06.06 IST
Reason: SelfAttested

(उमेदी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)